



पत्रांक- निदे०(मा०सं०)/उपाकालि०/केबी-ओ०/४/मा०श०
कार्यालय ज्ञाप

दिनांक : ८/१/२००९

कार्यहित में, एतद्वारा कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6382-नि०(मा०सं०)/उपाकालि
/24का०अनु०ए/ए-3 दिनांक 29-11-2005 द्वारा स्वीकृत विद्युत वितरण उपखंड, कौलागढ, देहरादून को
विद्युत वितरण उपखंड, वसन्त विहार, देहरादून में समाहित किये जाने की एतद्वारा अनुज्ञा प्रदान की जाती
है तथा 33/11केबी उपसंस्थान परिसर, निरंजनपुर, देहरादून में एक नये विद्युत वितरण उपखंड(दक्षिण) के
सृजन की अनुज्ञा भी प्रदान की जाती है।

इस प्रकार विद्युत वितरण उपखंड, कौलागढ देहरादून हेतु पूर्व में स्वीकृत विभागीय ढांचे को ही
उपरोक्तानुसार नवसृजित विद्युत वितरण उपखंड, निरंजनपुर, देहरादून हेतु स्वीकृत किया जाता है।

नवसृजित नगरीय विद्युत वितरण उपखंड, (दक्षिण), निरंजनपुर देहरादून के अधीन आने वाले विद्युत
पोषकों का विवरण निम्नवत है।

- 1- सब्जीमंडी पोषक
- 2- कारगी एवं टर्नर रोड पोषक
- 3- मोहब्बेवाला औद्योगिक पोषक
- 4- टेलीफोन एक्सचेंज एवं यमुना कॉलोनी पोषक (केवल न्यू पटेल नगर तक)।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- 52 निदे०(मा०सं०)/उपाकालि०/केबी०-ओ०/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, निदेशक (परिचालन/परियोजना/वित्त/मानव संसाधन), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 3- मुख्य महाप्रबन्धक(वाणिज्य), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 4- समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि।
- 5- कम्पनी सचिव एवं उपमहाप्रबन्धक (विधि), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 6- उपमहाप्रबन्धक, विद्युत जानपद मण्डल, उपाकालि, देहरादून।
- 7- उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)/(सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून/समस्त उप महाप्रबन्धक(वितरण/परियोजना), कुमाऊँ क्षेत्र।
- 8- समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त)/ आन्तरिक सम्प्रेक्षा, उपाकालि,।
- 9- समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।


(एम०के० जोशी)

उपमहाप्रबन्धक (मानव संसाधन)